

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आङ्ग

क्रमांक:- स्था.(रान्या.सै.)सं.प.अ./ 150 /2021

दिनांक : 15.09.2021

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रान्या.सै.)सं.प.अ./124/2021 दिनांक 03.08.2021 के द्वारा श्रीमती सरिता धाकड़ (RJ0631), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली को दिनांक 02.08.2021 से 26.08.2021 तक 25 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 01.08.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित रत्नीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 02.08.2021 से 03.08.2021 तक 02 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है।

आङ्ग से


  
राजेश द्वारा (वर्गीकरण) 15-09-2021

क्रमांक:-स्था.बी.2 (4)/11/2010/ 5776

दिनांक 15.09.2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 5103 दिनांक 31.08.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती सरिता धाकड़ (RJ0631), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।
5. श्रीमती नीतू भारद्वाज (RJ0846), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा राजन्या., जोधपुर।

  
राहायक रजिस्ट्रार